COOK COUNTY HEALTH

प्रदाताओं/एफक्यूएचसीएस के लिए मेडिकेड पुन:निर्धारण जानकारी

कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकेड सदस्यों द्वारा अपनी पात्रता को साबित किए बिना अबाधित स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्राप्त की गई। अब क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति समाप्त हो चुकी है, सदस्य की मेडिकेड पात्रता के पुन:निर्धारण के नवीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरु की जा रही है।

सदस्य अपनी कवरेज को न खोएं, इसकी रोकथाम करने में सहायता के लिए आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए।

प्रश्न: *पुन:निर्धारण (आरईडीई) की शुरुआत कब होगी?*

उत्तर: इलनॉइज़ में आरईडीई की शुरुआत 1 अप्रैल, 2023 से होगी, लेकिन पहली नवीकरण तय तारीख 1 जून, 2023 है। सभी सदस्यों के लिए पुन:निर्धारण एक जैसी नहीं है। मई 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान हर महीने लगभग 1/12 सदस्यों का पुन:निर्धारण किया जाएगा।

पुन:निर्धारण के पहले तीन महीनों के लिए टाइमलाइन:

आरईडीई मेल तारीख	आरईडीई फॉर्म तय तारीख	कवरेज हानि की शुरुआत होती है
5/01/2023	6/01 /2023	7/01/2023
6/01/2023	7/01/2023	8/01/2023
7/01/2023	8/01/2023	9/01/2023

प्रश्न: *पुन:निर्धारण के दौरान मेडिकेड सदस्यों की सहायता करने के लिए प्रदाता क्या कर सकते हैं?*

उत्तर: ऐसे अनेक कदम हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आप उठा सकते हैं कि आपके रोगियों की कवरेज बनी रहती है, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- सदस्यों को अपने मेलिंग पते को आनलाइन https://www2.illinois.gov/hfs/address या 1-877-805-5312 (TTY: 1-877-204-1012) पर अपडेट करने के बारे में याद दिलाएं ताकि वे अपने नवीकरण पेपरवर्क को प्राप्त कर सकें।
- मेडिकेड सदस्यों को यह जानना चाहिए कि उन्हें मेल में एचएफएस की ओर से नवीकरण फॉर्म की प्राप्ति का ध्यान रखना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें लाभ पात्रता आवेदन (एबीई) हॉटलाइन पर 1-800-843-6154 (TTY: 1-866-324-5553) के लिए निर्देशित करें या उन्हें ABE.illinois.gov/ को देखने के लिए कहें।
- उन्हें ABE.illinois.gov/ पर "मैनेज माई केस" अकाउंट को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें, जहां पर वे अपने नवीकरण की तय तारीख, लाभों की जानकारी आदि को देख सकते हैं।
- अपने बिलिंग और पंजीकरण सिस्टम में उन रोगियों को फ्लैग कर लें जिनकी निकट समय में पुन:निर्धारण तारीख आने वाली है। आप फोन या ईमेल के ज़रिए अपने रोगियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उनको सूचित कर सकें कि उनके नवीकरण की तारीख आने वाली है।

प्रश्न: *मैं अपने रोगी की पात्रता और नवीकरण तारीख की कैसे जांच कर सकता/ती हूं?*

उत्तर: रोगी के मैनेज्ड देखभाल संगठन से संपर्क करें या https://medi.hfs.illinois.gov/ पर एमईडीआई में लॉग इन करें और इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स सिस्टम (Internet Electronic Claims System (IEC) लिंक पर क्लिक करें। वहां से बांई नेविगेशन बार में "प्राप्तकर्ता पात्रता सत्यापन" को चुनें तथा व्यक्ति विशेष की खोज करने के लिए फील्ड्स को भरें।

प्रश्न: *क्या डेडलाइन मिस करने वाला सदस्य अभी भी कवरेज प्राप्त करता है?*

उत्तर: हां, यदि सदस्य अपनी पुन:निर्धारण की तय तारीख के 90 दिनों के भीतर अपने नवीकरण फॉर्म को जमा करते हैं, तो वे अभी भी कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि उनको 90 दिन से अधिक देरी हो चुकी है, तो उनको नए आवेदन के साथ पूरी तरह से फिर से आवेदन करना होगा। आवेदन को ABE.illinois.gov/ पर "मैनेज माई केस" अकाउंट बनाकर ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।

प्रश्न: *यदि मेडिकेड में नामांकन करवाने वाले सदस्यों के अन्य प्रश्न हैं, तो क्या करना होगा?*

उत्तर: मेडिकेड सदस्यों को 1-800-843-6154 एचएफएस पर निर्देशित करें या वे "मैनेज माई केस" अकाउंट के ज़रिए सीधे एचएफएस को संदेश भेज सकते हैं।

कृपया सदस्यों को याद दिलाएं कि वे घोटालों से सावधान रहें। इलनॉइज़ द्वारा मेडिकेड के नवीकरण या आवेदन के लिए उनसे कभी भी पैसे देने के लिए नहीं कहा जाएगा। घोटालों की जानकारी, धोखाधड़ी रिपोर्ट वेबसाइट या मेडिकेड धोखाधड़ी हॉटलाइन यानी 1-844-453-7283/1-844-ILFRAUD. https://www2.illinois.gov/hfs/oig/Pages/ReportFraud.aspx **पर दें।**

HFS Illinois Department of Healthcare and Family Services

COOK COUNTY HEALTH

HealthChoice Illinois
Illinois Department of Healthcare and Family Services